

4th Information Requirement / Discrepancies / Data Gaps in True-Up (FY 2018-19), Annual Performance Review (FY 2019-20), Aggregate Revenue Requirement (FY 2020-21) of

PuVVNL


1) PuVVNL with regard to 'Direct Power Purchase' of Rs. 6.19 Crore provided some details in its 3rd Deficiency / data gap reply. In this regard, PuVVNL should provide the following details as:

- i. The total quantum of Power purchased (MU);
- ii. Agreement /PPA (if any);
- iii. The rate at which power was procured;
- iv. Whether such an arrangement of power was approved by the Commission;
- v. Who collects the revenue and at what rate;
- vi. How the subsidy adjustment for unmetered consumers was done;
- vii. Any other information related to Regulatory Accounts.

Reply: The Licensee submits that the direct power purchase amounting to Rs. 6.19 Crore, is regarding the power supply to a border area of Ballia District by a Discom (South Bihar Power Distribution Company Ltd.) in the area of supply of Licensee. This was necessitated to facilitate power supply to the border area where, in the absence of Licensee's own distribution network, power supply to the consumers had to be arranged through the other licensee's network, due to its proximity. Accordingly, the power supplied by the other licensee to the consumers of the Licensee, is being treated as power purchase in the books of the Licensee. It is humbly submitted that agreement executed in this case is different from the normal PPA with a generator and thus has not been submitted for the approval of the Hon'ble Commission. Further, the Licensee submits that the consumers have been billed in accordance with the Tariff Schedule approved by the Hon'ble Commission from time to time. Therefore, the Hon'ble Commission is requested to approve the expenses on account of this purchase. The Point wise reply of the related query is depicted below:


- i. The total quantum of Power purchased (MU): **3.204834 MU (04/18 to 03/19).**
Month wise breakup of the same is Enclosed as Annexure 'A'.
- ii. Agreement /PPA (if any): Enclosed as Annexure 'B'
- iii. The rate at which power was procured: **As per attached Agreement.**


SUPERINTENDING ENGINEER (COM.)
Purvanchal Vidyut Vitran Nigam Limited
Vidyut Nagar, P.O. D.L.W., Varanasi


मुख्य अभियन्ता (वाणिज्य)
पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि०
विद्युत नगर, डी०एल०डब्ल्यू०
वाराणसी

- iv. Whether such an arrangement of power was approved by the Commission: **No**
- v. Who collects the revenue and at what rate: **PuVVNL collects the revenue from its consumers as per Tariff Schedule of the Hon'ble Commission.**
- vi. How the subsidy adjustment for unmetered consumers was done: **The subsidy adjustment done at the Discom level and not at the consumer/division level as it applicable for all other consumers of the Discom.**
- vii. Any other information related to Regulatory Accounts: **All the related information is already provided under reply of query in 3rd and 4th data gaps. Further, the communication letters regarding the electrification of the area is Enclosed here as Annexure 'C'.**


SUPERINTENDING ENGINEER (COM.)
Purvanchal Vidyut Vitran Nigam Limited
Vidyut Nagar P.O. D.L.W. Varanasi


मुख्य अभियन्ता (वाणिज्य)
पूर्वाञ्चल विद्युत वितरण निगम लि०
विद्युत नगर पो. डी.एल.वी.
वाराणसी

Annexure: A

Date of connection - 21/02/2015

NAME	M/s purvanchal vidyut vitran nigam ltd.	
Address	Executive engineer vidyut vitran 2nd Ballia (U.P.)	
Contracted demand	200 KVA	

वर्ष 2018-2019 के दौरान साठ्य बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लि० से प्राप्त बिल के अनुसार विद्युत क्रय का विवरण

Apr-18	275316.66
May-18	275316.66
Jun-18	275316.66
Jul-18	254214.00
Aug-18	275316.66
Sep-18	275316.66
Oct-18	275316.66
Nov-18	275316.66
Dec-18	275316.66
Jan-19	137658.33
Feb-19	335112.5
Mar-19	
Total	3204834.77

[Handwritten Signature]
[Handwritten Signature]
[Handwritten Signature]

PC

[Handwritten Mark]

SUPERINTENDING ENGINEER (COM.)
Purvanchal Vidyut Vitran Nigam Limited
Vidyut Nagar, P.O. D.L.W. Ballia

मुख्य अभियन्ता (वाणिज्य)
पूरुवांचल विद्युत वितरण निगम लि०
विद्युत नगर, डी०एल०डब्ल्यू०
बाराणसी

Annexure: B

AGREEMENT FOR SUPPLY OF ELECTRICAL ENERGY

THIS AGREEMENT is executed at Buxar on (the 2) day of 02-2016

BETWEEN Electrical Supply Division, Buxar, South Bihar Power Distribution Company Limited, a Company incorporated under the Companies Act 1956 having its registered office at Vidhut Bhawan, Ballia Road, Patna 800001, Bihar, through its authorized signatory Electrical Executive Engineer, Electricity Supply Division, Buxar hereinafter referred to as "the Licensee of Bihar" (which expression shall unless repugnant to the subject or context or meaning thereof mean and include its successors-in-interest, nominees and assigns) of the ONE PART.

AND

Electric Distribution Division II, Ballia, Purvanchal Vidhut Vitran Nigam Ltd., a Company incorporated under the Companies Act. 1956 having its registered office at Vidhut Bhawan, Vidhut Nagar, Varanasi through its authorized signatory Executive Engineer, Electricity Distribution Division II, Ballia hereinafter referred to as "the Licensee of U.P." (Which expression shall unless repugnant to the subject or context or meaning thereof mean and include its successors-in-interest, nominees and assigns) of the OTHER PART.

WHEREAS.

1. The Licensee of Bihar is, inter-alia, engaged in the business of supplying and has been granted a license under the Indian Electricity Act, 1910 and is presently a deemed licensee under section 14, 1st proviso of the Electricity Act, 2003 (herein after referred to as Act) for distribution and / or retail supply and / or bulk supply of energy to various Licensee of U.P.s within its licensed area.
2. The Licensee of U.P. has vide application dated 12.03.14 applied to the Licensee of Bihar for procuring supply of energy for electrical installation (for a load of 200 KVA) (hereinafter referred to as "contractual load") at its licensed area situated at Village Shilpur Diyar Nambri, Somali and Jabhi Diyar in Ballia District (hereinafter referred to as "the said licensed area in U.P.") in connection with Power for the purpose of Village Electrification.

And the licensee of Bihar has agreed to provide such supply of energy. The Rate Schedule as above shall be as per the Indo - Nepal tariff with 5.5% escalation per annum.

NOW THIS AGREEMENT WITNESSED AND IT IS HEREBY AGREED, DECLARED AND RECORDED BY AND BETWEEN THE PARTIES AS UNDER.

1. This Agreement shall be effective for a minimum period of 2 (two) years from the date of commencement of supply by the Licensee of Bihar to the Licensee of U.P. under this agreement.

2.(a) The Licensee of U.P. shall pay to the Licensee of Bihar all charges as provided for in the existing Indo-Nepal tariff with 5.5 % escalation per year including any penal or additional charges payable by the Licensee of U.P. In the event of violation of any of the stipulations under the governing rules / regulations supply.

(b) In addition to the aforementioned charges the Licensee of U.P. shall also pay other statutory levies including electricity duty, taxes, charges, surcharges etc. as may be applicable from time to time.

3. THE Licensee of U.P. HEREBY UNDERTAKES, REPRESENTS, ASSURES, WARRANTS, AGREES AND COVENANTS WITH THE LICENSEE AS FOLLOWS:

1. Licensee of U.P. shall abide and be bounded by all the terms and conditions of the Electricity Supply Code 2007 (hereinafter referred to as the "Code") approved by the Commission and the amendments / revisions thereto, and

Electrical Executive Engineer
Electrical Supply Division

Executive Engineer
Electricity Distribution Division II,
U.P. Power Corporation Limited

SUPERINTENDING ENGINEER (COM.)

the provisions of the Act together with the rules framed under the Act and Indian Electricity Rules 1956, including any modifications thereof, in so far as they are applicable to the Licensee of U.P..

II - The Licensee of Bihar shall not be held responsible in any manner whatsoever and howsoever for curtailment, interruption, staggering, diminution or stoppage of supply for reasons beyond its control and any claim on account of loss or damage arising out of the failure of supply for reasons beyond its control including but not limited to force majeure conditions shall be limited to as provided for in the Code.

III. Licensee of U.P. shall ensure that the energy supplied at its licensed area is distributed as per law and authorization.

IV. Licensee of U.P. shall ensure that the meter/ metering equipments under no circumstance handled or removed by any one other than an authorized employee/ representative of the Licensee of Bihar. The seals, which are fixed on the meters / metering equipment, on no account be tampered, damaged or broken. The responsibility for safe custody of Licensee of Bihar's equipment and seals on the meter / metering equipment shall be on the Licensee of U.P.. In the event of any damage caused to the Licensee of Bihar's equipment by reason of any act, neglect or default by the Licensee of U.P. or its representative, the costs thereof as claimed by the licensee of Bihar shall be payable by the Licensee of U.P.

4. (a) All notices/intimation required or permitted hereunder shall be in writing and shall be sent in the format prescribed for in the Code. Notices may be sent by courier, registered post/speed post, fax, personal delivery, affixation, and publication in a newspaper. Notice shall be deemed to have been received by the Licensee of U.P. on the expiry of 4 (four) days from the date of dispatch by courier mail, Post office receipt in the case of delivery by registered and speed post and in case of personal delivery simultaneous with the receipt thereof by the Licensee of U.P. of its employees or representative of the Licensee of U.P. and in the case of publication in a newspaper simultaneous on the date of publishing of such newspaper.

(b) However, the Licensee of Bihar shall not be required to issue any separate notice for payment of monthly electricity consumption bills and such Bill shall be deemed to be a "Bill cum Notice" for payment of the amounts mentioned therein.

5. The outstanding dues will be a charge on the assets of the company. Before sale is made, the outstanding dues will be cleared and, in the alternative the deed to agreement / sale will specifically mention the outstanding dues and the method of its payment.

6. If the Licensee of U.P. after execution of declaration/ agreement reduces or increases his load, he shall have to execute a fresh declaration/ agreement, which will be valid for two years.

7. Arbitration: If any question or dispute or difference arises between the parties to this agreement as to the interpretation or effect of any provision or clause herein contained or the construction thereof or as to any other matter in any way connected with or arising out of this agreement or the operation thereof or the rights, duties or liabilities of either party in connection therewith, such question, dispute or difference shall be referred to the Arbitration of the Managing Director of the SBPDCL or the person nominated by him and the award/ decision of the said Arbitrator shall be final and binding upon the parties. In case of any neglect or refusal by the nominee to proceed with the arbitration, the Managing Director of the SBPDCL may nominate another person in his place to proceed with the dispute as Sole Arbitrator.

8. This Agreement shall be governed by the Electricity Act, 2003 with all its amendments, various other laws of India for the time being in force, but not limited to various regulations of BERC, as applicable to the state of Bihar, and shall be subject to the jurisdiction of the Court subordinate to High Court of Judicature of Patna.

9. That the expenses on stamping (on a non judicial stamp paper of Rs. 1000/- only) shall be made by the Licensee of U.P. for this Agreement, which need not be registered.

10. शर्तों की विशेष शर्तें

प्रबंध निदेशक, पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि० के पत्रांक 117/पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि० (वि०)/निर्माण-वि०/विद्युत समस्या पत्रांक 12.03.2014 के साथ मुख्य अभियंता (योजना) साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन का० लि० का पत्रांक 87 दिनांक 10.02.2015 जिसके माध्यम से उत्तर प्रदेश के बलिया जिला के ग्राम शिवपुर दीयर नम्बरी, सोमाली एवं पामरी दीयर को विद्युत आपूर्ति हेतु 200 क०भी०ए० विद्युत भार स्वीकृति के उपरान्त निम्न शर्तों के अधीन 200 क०भी०ए० विद्युत भार स्वीकृत किया गया है।

(1) स्वीकृत विद्युत भार की आपूर्ति, विद्युत आपूर्ति प्रणाली के अनुसार अन्तर्गत 33/11 क०भी० शक्ति उपकेन्द्र, सिमरी के 11 क०भी० पड़री फीडर को एक ही लाइन बांध (बिहार) के मास टर्मिनस द्वारा की जाएगी।

(2) उपकेन्द्र से विद्युत उपभोग हेतु 1 किलो मीटर 11 क०भी०ए० लाईन का विस्तार चक्की लहना बांध, बिहार से प्राणपुर सु०पी तक का निर्माण कार्य पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि० द्वारा जमा कार्य योजना के तहत किया जायेगा जिसके लिये प्रायकालित राशि का 15 प्रतिशत विभागीय शुल्क के रूप में पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि० द्वारा साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड को भुगतान करना होगा।

(3) लाईन के विस्तारित खंड पर स्वामित्व सा०बि०पा०डि०य०लि० का होगा परन्तु इसका रख-रखाव एवं अनुरक्षण की जिम्मेदारी पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि० की होगी।

(4) इस हेतु की गई विद्युत आपूर्ति के विद्युत बिल का भुगतान सुनिश्चित करने हेतु 30 दिनों के उर्जा उपभोग के समतुल्य 105 प्रतिशत की एल०सी० पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि० द्वारा साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड के पक्ष में खोले जाने का प्रावधान करना होगा।

(5) तदनुसार की जानेवाली विद्युत आपूर्ति हेतु दर नेपाल को की जाने वाली आपूर्ति की दर इण्डो नेपाल दर होगी जो कि वर्तमान में 1.1 क०भी०ए० पर रुपये 5.87 प्रति यूनिट है तथा यह दर प्रत्येक वर्ष 5.5 प्रतिशत की दर से बढ़ेगी।

21.02.15
Electrical Executive Engineer
Electrical supply Division
BUXAR.

Executive Engineer
Electricity Distribution Division
U.P. Power Corporation Limited

SUPERINTENDING ENGINEER (COM.)
Purvanchal Vidyut Vitrān Nigam Limited
Vidyut Nagar, P.O. D.L.W., Varanasi

मुख्य अभियंता (वाणिज्य)
पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि०
विद्युत नगर, डी.एल.वी. वाराणसी

162

IN WITNESS WHEREOF the parties here executed these presents of the place, day, month and year as first above written in the presence of the under noted witness. SIGNED AND DELIVERED by the within licenses (NAME OF DISTRIBUTION COMPANY) through EEE,ESD,Buxar (Name and designation) at Buxar duly authorised by South Bihar Power Distribution Co.Ltd C.E (Planning) Letter No.....7.F..... Dated.....21.2.15 SIGNED AND DELIVERED by the within name P.B.B.N. Ltd, Varanasi through EE,EDD-II,Balia (Name & Designation) at Balia duly authorized by a company.....Resolution/trustdeed/Partnership Deed/(Strike out whichever is not applicable)..... dated..... Both in the presence of the following witnesses:-

1. Witness SACHIN KUMAR
Place & Date JEE/S/BXR (W) *S. Kumar*
21/2/15

2. Witness Sanjesh Kumar (C.E.)
Place & Date Electric supply division Buxar *S. Kumar*
21-2-15

Your's faithfully

S. Kumar
21-2-15
Executive Engineer

Electricity distribution Division, Balia

Your's faithfully

S. Kumar
21-2-15
Electrical Executive Engineer
Electric Supply Division, Buxar

S. Kumar
21-2-15

M
SUPERINTENDING ENGINEER (COM.)
Purvanchal Vidyut Vitran Nigam Limited
Vidyut Nagar, P.O. B.L.W., Varanasi

S. Kumar
मुख्य (वाणिज्य)
पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि०
विद्युत नगर, अलौडक्यू
वाराणसी

Annexure: C



कार्यालय
अधिशारी अभियन्ता
पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
विद्युत वितरण खण्ड द्वितीय
बलिया - पिन 277001



05498-240187, 945723787

evanar@bsebi.com

पत्रांक 385 विविखट्टि(ब)/

दिनांक 11-1-2011

विषय- गंगा पार के ग्राम शिवपुर दीयर नम्बरी, सोनाली एवं जवही दीयर के विद्युतीकरण के सम्बन्ध में।

प्रत्य निदेशक

पूविदिनेलि० पत्रालय - डी०रे०का०
विद्युत नगर, वाराणसी।

उपरोक्त विषयक इस कार्यालय के पत्रांक सी 574 दिनांक 24.12.13 का संदर्भ ग्रहण करें। इस संदर्भ में आपको अवगत करना है कि गंगापार के ग्राम शिवपुर, दीयर नम्बरी, सोनाली, जवही दीयर के विद्युतीकरण हेतु आप द्वारा अचोहस्ताक्षरी को प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में अनुबन्धित कार्यकारी संस्था में० नागार्जुन कन्सल्टेशन कम्पनी लि० हैदराबाद द्वारा संदर्भित ग्रामों में विद्युतीकरण कार्य कराया जा रहा है, जिसमें लगभग 500 पोल की स्थापना का कार्य एवं 100 पोलों पर कण्डक्टर लगाने का कार्य पूर्ण कराया चुका है। शेष कार्य पूर्ण कराया जा रहा है। उपरोक्त ग्रामों के गंगा तट के दक्षिणी छोर पर बसे होने के कारण 30प्र०पा०का०लि० का कोई निकटवर्ती उपकेन्द्र नहीं है, जिससे इन्हें विद्युत आपूर्ति की जा सके। इन ग्रामों को विद्युत आपूर्ति किए जाने हेतु बिहार राज्य के भोजपुर जिले के 33/11 के०वी० विद्युत उपकेन्द्र सीमरी से एक स्वतंत्र फीडर तथा इन ग्रामों तक लगभग 10 कि०मी० की 11000 के०वी० लाइन का निर्माण कराने की आवश्यकता है, जिसके लिए शासन स्तर पर बिहार सरकार के उर्जा विभाग से सहमति पत्र प्राप्त करना आवश्यक है। इस सम्बन्ध में अधिशारी अभियन्ता विद्युत आपूर्ति प्रमण्डल बक्सर (बिहार) से अचोहस्ताक्षरी द्वारा स्वयं सम्पर्क किए जाने पर अवगत कराया गया है कि संदर्भित ग्रामों की विद्युत आपूर्ति मुख्य अभियन्ता ग्रामीण विद्युतीकरण घटना, (बिहार) के अधीन है, जो प्रत्य निदेशक महोदय साउथ बिहार पावर वितरण कम्पनी विद्युत भवन वेली रोड, गोलन्धर, घटना (बिहार) के अन्तर्गत आता है। संदर्भित ग्रामों का विद्युतीकरण शीघ्र पूर्ण कराए जाने हेतु मा० खेल कूद मंत्री उ० प्र० शासन श्री नारद राय जी द्वारा भी निरन्तर निर्देश प्राप्त हो रहे हैं।

आपको यह भी अवगत करना है कि इस खण्ड अन्तर्गत 33/11 के०वी० विद्युत उपकेन्द्र जयप्रकाश नगर से जिला सारण (बिहार राज्य) के 20 ग्रामों को 200 के०वी० भार का अधिशारी अभियन्ता विद्युत आपूर्ति डिवीजन छपरा (मिचिन) बिहार राज्य से अनुबन्ध कर विद्युत आपूर्ति पूर्व से ही की जा रही है।

अतः आपसे अनुरोध है कि इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें, जिससे प्रस्तावित ग्रामों में विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके।

अधिशारी अभियन्ता

संख्या एवं तिथि - यथा उपरोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ प्रेषित।

1. माननीय श्री नारद राय जी मा० खेल कूद मंत्री उ० प्र० शासन लखनऊ।
2. जिलाधिकारी महोदय बलिया।
3. मुख्य अभियन्ता (वितरण) आजमगढ़ क्षेत्र आजमगढ़।
4. अधीक्षण अभियन्ता विद्युत वितरण मण्डल मऊ।

अधिशारी अभियन्ता

तकी



बिहार विद्युत वितरण निगम लि.
"पूर्व-वर्तमान विद्युत निगम"
विद्युत नगर, गिरिडीह,
पिन-841001, दरभंगा, बिहार-221004,
फोन-0542-2322585 फैक्स-0542-2313152
E-mail-SID - midpurvaanchal@bsew.com
D(T) - director@tech@bsew.com

पत्रांक 258 निदेशक00/पूविनिनिलि(वा0)/कैम्प/विद्युत आपूर्ति

दिनांक 30 सितम्बर, 2014

विषय : 33/11 केवी सेनरी विद्युत उपकेन्द्र सिमरी, बिहार से दियर क्षेत्र के 13 मजराओं को विद्युत आपूर्ति हेतु 250 कवीएर लोड बिडार सरकार से अनुबन्ध के सम्बन्ध में।

ई-मेल/डाक

दक्षिणांगी अभियन्ता
विद्युत वितरण मण्डल-द्वितीय,
पूविनिनिलि0,
बलिया।

कृपया उपरोक्त विषय में अपने पत्रांक-सी-348 दिनांक-13.08.2014(छायाप्रति संलग्न) का सन्दर्भ ग्रहण करें। उक्त पत्र के सम्बन्ध में प्रबन्ध निदेशक, पूविनिनिलि0, वाराणसी, ने आदेशित किया है कि 13 मजराओं के विद्युतीकरण हेतु प्रबन्ध निदेशक, दक्षिण बिहार विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड, विद्युत भवन, बेली रोड, पटना से व्यक्तिगत रूप से सम्पर्क स्थापित करते हुये विद्युतीकरण हेतु आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें तथा एक सप्ताह में संस्तुति सहित आख्या प्रस्तुत करें।

संलग्नक : यथापरि।

(एम0एल0 शर्मा)
निदेशक(तकनीकी)

दिनांक 30 सितम्बर, 2014

पत्रांक 258 निदेशक00/पूविनिनिलि(वा0)/कैम्प/विद्युत आपूर्ति

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रबन्ध निदेशक, दक्षिण बिहार विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड, विद्युत भवन, बेली रोड, पटना, को सादर संज्ञानार्थ।
2. मुख्य अभियन्ता(वि0), आजमगढ़ क्षेत्र, आजमगढ़।
3. अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत वितरण मण्डल, मऊ।

संलग्नक : यथापरि।

(एम0एल0 शर्मा)
निदेशक(तकनीकी)

सीसी -

प्रबन्ध निदेशक शिविर, डिरकाम कार्यालय, वाराणसी।

एम्पलओ शर्मा
निदेशक (तकनीकी)



पूर्वाञ्चल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
" पूर्वाञ्चल विद्युत भवन "
विद्युत भवन, गिखारीपुर
पोस्ट-डीठाएलकम्प, वाराणसी-221004.
फोन-0542-2322585 फैक्स-0542-2319152
E-mail - MID - midpurvanchal@bsebl.com
DCT - director@bsebl.com

पत्रांक 258 निदेशक0/पूविनिनि(वा0)/कैम्प/विद्युत आपूर्ति

दिनांक 30, सितम्बर, 2014

विषय : 33/11 केवी सेगरी विद्युत उपकेन्द्र सिगरी, बिहार से दिवर क्षेत्र के 13 मजरां को विद्युत आपूर्ति हेतु 200 कॅवीए लोड बिहार सरकार से अनुबन्ध के सम्बन्ध में ।

१-मेल/दस्तावेज

अधीक्षणी अभियन्ता
विद्युत वितरण गण्ड-द्वितीय,
पूविनिनि0लि0,
दिवरा ।

कृपया उपरोक्त विषय में अपने पत्रांक-सी-348 दिनांक-13.08.2014(छायाप्रति संलग्न) का सन्दर्भ ग्रहण करें। उक्त पत्र के सम्बन्ध में प्रबन्ध निदेशक, पूविनिनि0लि0, वाराणसी, ने आदेशित किया है कि 13 मजरां के विद्युतीकरण हेतु प्रबन्ध निदेशक, दक्षिण बिहार विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड, विद्युत भवन, बेली रोड, पटना से व्यक्तितगत रूप से सम्पर्क स्थापित करते हुये विद्युतीकरण हेतु आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें तथा एक सप्ताह में संस्तुति सहित आख्या प्रस्तुत करें।

संलग्नक : यथोपरि।

(एम्पलओ शर्मा)
निदेशक(तकनीकी)

दिनांक 30, सितम्बर, 2014

पत्रांक 258 निदेशक0/पूविनिनि(वा0)/कैम्प/विद्युत आपूर्ति

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रबन्ध निदेशक, दक्षिण बिहार विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड, विद्युत भवन, बेली रोड, पटना, को सादर संज्ञानार्थ।
2. मुख्य अभियन्ता(वि0), आजमगढ़ क्षेत्र, आजमगढ़।
3. अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत वितरण गण्डल, मऊ।

संलग्नक : यथोपरि।

(एम्पलओ शर्मा)
निदेशक(तकनीकी)

शीर्षक -

प्रबन्ध निदेशक शिविर, डिस्कॉम कार्यालय, वाराणसी।



पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि०
(उत्तर प्रदेश का निकाय)
Purvanchal Vidyut Vitran Nigam Ltd.
(Govt of Uttar Pradesh Undertaking)
ELECTRICITY DISTRIBUTION DIVISION II BALLIA
फोन- 05108-240150, मोबा- 04501063747

पत्र संख्या C. 243/ विविखट्टि (ब) /

दिनांक 13/08/2014

विषय - 33/11 केवी सेगरी विद्युत उपकेन्द्र सेगरी विहार से दिगर क्षेत्र के 13 मजरों को विद्युत आपूर्ति हेतु 200 केवीए लोड विहार सरकार से अनुबंध के सादर में।

मुख्य अभियन्ता
राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (द्वितीय फेज)
पूविनिगलि०
पत्रालय डी३२०का० दाराणसी।

आपको सादर अग्रगत कराना है कि खण्ड द्वितीय बलिया के अन्तर्गत आने वाले शिवपुर दिगर नम्वरी एवं अन्य 13 मजरों का विद्युतीकरण राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत पूर्ण हो चुका है। ये सभी मजरें गंगा नदी के उस पार स्थित हैं जहाँ पर वर्तमान में उत्तर प्रदेश की कोई 11 केवी लाइन नहीं है और न ही बलिया जनपद ने निकटवर्ती किसी भी उपकेन्द्र से जोड़ने की समायना है। इन मजरों को उर्जीकृत कराने के लिए 200 केवीए विद्युत लोड की आवश्यकता है।

अतः आपसे अनुरोध है कि 200 केवीए लोड को 33/11 केवी विद्युत उपकेन्द्र सेगरी (डिवीजन बक्सर) से जो विहार सरकार को अधीन है, विहार सरकार से स्वीकृत कराने हेतु आवश्यक कार्यवाई कराने की कृपा करें, जिससे सभी ग्रामों को उर्जीकृत किया जा सके।

अधिशारी अभियन्ता

संख्या एवं तिथि यथा उपरोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रबन्ध निदेशक, पूविनिगलि० दाराणसी।
2. मुख्य अभियन्ता (वितरण) आजमगढ़ क्षेत्र आजमगढ़।
3. अधीक्षण अभियन्ता विद्युत वितरण मण्डल मऊ।

अधिशारी अभियन्ता



पार्वन्चल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

Parvanchal vidyut vitran nigam Ltd.

(Govt of Uttar Pradesh)
ELECTRICITY DISTRIBUTION DIVISION II BALLIA

फोन- 05408-240150, 240151, 240152, 240153

पत्र संख्या CS/11/विवि/वह(व)


दिनांक 29/09/2014

विषय - 33/11 केवी सेगरी विद्युत उपकेंद्र सिमरी बिहार से दिवार क्षेत्र के 13 मजरा को विद्युत आपूर्ति हेतु 200 केवीए लोड का अनुबंध के सम्बन्ध में।

अधिसासी अभियन्ता
विद्युत आपूर्ति डिवीजन
बिहार राज्य विद्युत परिषद
बक्सर (बिहार)

आपको अवगत कराना है कि खण्ड द्वितीय बलिया के अन्तर्गत आने वाले शिवपुर दिवार नगरी एवं अन्य 13 मजरा का विद्युतीकरण राष्ट्रीय गांधी विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत पूर्ण हो चुका है। ये सभी मजरा गंगा नदी के तट पार स्थित हैं जहाँ पर वर्तमान में उत्तर प्रदेश की कोई 11 केवी लाइन नहीं है और न ही बलिया जनपद में निकटवर्ती किसी भी उपकेंद्र से जोड़ने की संभावना है। इन मजरा को उर्जीकृत कराने के लिए 200 केवीए विद्युत लोड की आवश्यकता है।

अतः आपसे अनुरोध है कि 33/11 केवी विद्युत उपकेंद्र सेगरी डिवीजन बक्सर जो आपके खण्ड के क्षेत्राधीन है 200 केवीए लोड को स्वीकृत कराने हेतु अनुबंध की कार्यवाही कराने की कृपा करें, जिससे तभी ग्रामों को उर्जीकृत किया जा सके।


अधिसासी अभियन्ता

संख्या एवं तिथि यथा उपरोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाएँ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रबन्ध निदेशक, पूर्वविभिलि० वाराणसी।
2. प्रबन्ध निदेशक (साउथ बिहार) विद्युत वितरण निगम कम्पनी पटना (बिहार राज्य)।
3. निदेशक (तकनीकी) पूर्वविभिलि० वाराणसी।
4. मुख्य अभियन्ता (वितरण) आजमगढ़ क्षेत्र आजमगढ़।
5. मुख्य अभियन्ता रा० गां० ग्रा० वि० यो० (द्वि० फे०) पूर्वविभिलि०, प्रभालय डी०रे०का० वाराणसी।
6. अधीक्षण अभियन्ता विद्युत वितरण मण्डल मऊ।
7. अधीक्षण अभियन्ता विद्युत आपूर्ति मण्डल बक्सर (बिहार राज्य)।

received
RMA
16/10/14

अधिसासी अभियन्ता

टिप्पणी तथा आदेश

पत्र संख्या C-107/विविखट्टि(ब)/

दिनांक 12/02/2015

विषय - गंगा तट के पास बसे ग्राम शिवपुर दीयर नम्बरी, सोमाली एवं जवहीं दीयर के विद्युतीकरण हेतु मीटर चार्ज की धनराशि रू0 36000.00 अवमुक्त करने के सम्बन्ध में।

प्रबन्ध निदेशक

मू0वि0वि0नि0लि0

पत्रा10 डी0रे0का0

यामाणरभी।


सादर अवगत करना है कि जनपद बलिया के गंगापार के ग्राम शिवपुर दीयर नम्बरी, सोमाली, जवहीं दीयर में विद्युतीकरण का कार्य राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत कराया जा रहा है। इन ग्रामों का उर्जीकरण बक्सन स्थित सेमरी विद्युत उपकेंद्र से किया जाना प्रस्तावित है। उर्जीकरण के लिए एच0टी0 मीटर स्थापित करने का चार्ज रू0 36000.00 विद्युत कार्यपालक अभियन्ता विद्युत आपूर्ति प्रमण्डल, बक्सर (बिहार) के पक्ष में जमा करने का प्राक्कलन प्राप्त हुआ है।

अतः आपसे अनुरोध है कि मीटर स्थापित करने का चार्ज की राशि रू0 36000.00 (रू0 छत्तीस हजार मात्र) इस खण्ड के पक्ष में अवमुक्त करने की कृपा करें, जिससे उक्त राशि का बैंक ड्राफ्ट साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि0 को प्रेषित कर, संदर्भित ग्रामों को उर्जीकरण के क्रम में मीटर स्थापना का कार्य कराया जा सके।

सास्तुति सहित अग्रसारित

अग्रसारित :

भवदीय,



मुख्य अभियन्ता (वितरण)
आजमगढ़ क्षेत्र आजमगढ़

अधीक्षक अभियन्ता
विद्युत वितरण मण्डल गऊ

अधिशारी अभियन्ता
वि0वि0ख0ट्टि0 बलिया